



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 190 राँची, बुधवार,

23 अप्रैल, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 अप्रैल, 2025

सं०-07/वि०स० (ता०प्र०) -11/2022-2211--विभागीय अधिसूचना सं०- 5028, दिनांक 04.09.2024 सहपठित अधिसूचना सं०- 6046, दिनांक-25.10.2024 के द्वारा झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, हजारीबाग अन्तर्गत विज्ञापन संख्या-01/2019 एवं अन्य जिलों में गृहरक्षकों के नामांकन / नवनामांकन प्रकरण से जुड़े विवादित / निर्णयाधीन मामलों की समीक्षा / जाँच हेतु अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है।

श्री प्रदीप तिग्गा, अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची दिनांक 31.01.2025 को वार्धक्य सेवानिवृति प्राप्त करने के उपरान्त झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, हजारीबाग अन्तर्गत विज्ञापन संख्या-01/2019 एवं अन्य जिलों में गृहरक्षकों के नामांकन / नवनामांकन प्रकरण से जुड़े विवादित / निर्णयाधीन मामलों की समीक्षा / जाँच हेतु निम्नवत् अंतर्विभागीय समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है :-

- | | | |
|-------|---|-----------|
| (I) | श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, | - अध्यक्ष |
| (II) | श्री संजय कुमार रजक, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची | - सदस्य |
| (III) | श्री घनश्याम प्रसाद, अवर सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची | - सदस्य |

(IV) श्री शैलेश कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, - सदस्य
झारखण्ड, राँची

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3 इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक को संशोधित समझा जाय।

4. समिति, गृहरक्षकों के नामांकन / नवनामांकन से जुड़े विवादित /निर्णयाधीन मामलों की समीक्षा/ जाँच कर एक माह के अन्दर इस विभाग को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

5. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
